



मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान



क्रमांक: एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा./2026-2027/School ELC/ Pt. III /1788 जयपुर, दिनांक: 17-4-26

परिपत्र -स्कूल ई.एल.सी. गतिविधियाँ (2026-27)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में राज्य के समस्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक राजकीय एवं निजी विद्यालयों में स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के सुदृढीकरण एवं सफल संचालन हेतु तथा अध्ययनरत भावी मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता का प्रभावी उद्बोधन किये जाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग- निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा - **Rajkaj Ref. No. 21349022**, दिनांक 31.03.2026 के अनुसार जारी शिविरा कैलेंडर 2026-27 के पृष्ठ संख्या 13, 14 एवं 15 (प्रतिलिपि संलग्न) पर उल्लेखित स्कूल ईएलसी मासिक गतिविधियों के फील्ड स्तर पर सफल, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध सम्पादन तथा ब्लॉक/ जिला एवं राज्य स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के साथ संलग्न 'परिशिष्ट-अ' के अनुसार अग्रिम आवश्यक अनुपालनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु जारी किये जाते हैं।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा./2026-2027/School ELC/ Pt. III /1788 जयपुर, दिनांक: 17-4-26

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम/ अनुपालनात्मक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. स्वीप प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन विभाग -- जयपुर।
5. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी-IT, निर्वाचन विभाग, जयपुर।
(उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट की स्वीप -- ईएलसी रिपॉजिटरी में अपलोड कराने हेतु)।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), समस्त जिले, राजस्थान।
7. जिला स्वीप नोडल अधिकारी (CEO-ZP), समस्त जिले, राजस्थान।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला स्कूल ईएलसी नोडल अधिकारी, समस्त जिले।
9. जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर, समस्त जिले।
10. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, समस्त।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक स्कूल ईएलसी नोडल अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
12. संस्थाप्रधान/स्कूल ईएलसी प्रभारी, राजकीय एवं निजी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय, समस्त।
13. BLO/ Supervisor, समस्त।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

शिविरा अनुरूप सत्र 2026-27 में स्कूल ई.एल.सी. गतिविधि संचालन के सम्बन्ध में
विस्तृत दिशा-निर्देश

1. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 158, दिनांक 09.01.2025 के अनुसार राज्य में जारी **School ELC SoP** में विहित प्रक्रिया, पूर्व पत्रांक 1201, दिनांक 10.03.2025 तथा क्रमिक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन विभाग एवं शिक्षा विभाग के जिला/ ब्लॉक एवं फील्ड स्तरीय अधिकारियों/ कार्मिकों के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व के अनुरूप स्कूल ई.एल.सी. गतिविधियों का सुव्यवस्थित संचालन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जावे।
2. राज्य के समस्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में से 1 चेयरमैन, 1 वाईस चेयरमैन एवं सदस्य (अधिकतम संख्या - 18/ कुल संख्या - 20) निर्वाचित/ नामित करते हुए स्कूल मतदाता साक्षरता क्लब- कार्यकारी समिति (ईएलसी-ईसी) गठित किया जाना अविलम्ब/ तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित करें। विद्यालय की ELC - Executive Committee में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी (उपलब्धता की स्थिति में) को अनिवार्यतः शामिल किया जाना है। उक्त विद्यार्थियों को भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग - राजस्थान द्वारा उपलब्ध समस्त ऑनलाइन मतदाता सुविधाओं के बारे में आवश्यक रूप से जागरूक किया जाना है।
3. समस्त विद्यालयों में संस्था प्रधान ELC हैड/ प्रभारी नामित करते हुए विद्यालय स्तर पर **ELC Register** एवं **ELC File** संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त संस्था प्रधान ELC Head के स्थानांतरण, ELC-EC में नामित विद्यार्थी के अन्यत्र प्रवेश/कक्षा क्रमोन्नति इत्यादि समस्त संभावित परिदृश्य में ELC Head/ ELC-EC के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन एवं सदस्यों की सूचना शाला दर्पण/ प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अद्यतन रखें।
5. संस्था प्रधान एवं नामित School ELC Head विद्यालय की निर्वाचित/ गठित ELC-EC के साथ **विभागीय आदेश/ शिविरा 2026-27 के अनुसार निर्धारित ELC गतिविधि कैलेंडर** साझा करते हुए आपसी समन्वयन में वार्षिक/ मासिक कार्ययोजना बनाएँगे। क्रमशः तदनुसार School ELC Head के पर्यवेक्षण में ELC-EC के सहयोग से भावी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित कक्षावार सन्दर्भ निर्देशिका (Resource Guide) एवं Online SVEEP/ ELC Repository पर उपलब्ध सामग्री यथा-Guidelines, Videos, Story Scrolls, Games इत्यादि की सहायता से निर्धारित नवाचारी मासिक School ELC गतिविधि आयोजित/ सम्पादित करेंगे।
SVEEP - ELC Repository Link -https://election.rajasthan.gov.in/SVEEP_ELC.aspx
6. विद्यालय स्तर पर सम्पादित मासिक गतिविधियाँ वोटर/ निर्वाचन जागरूकता के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा सोशल मीडिया हैंडल्स [व्हाट्सप्प ग्रुप/ X (Formerly Twitter) Facebook/ Instagram इत्यादि] पर फोटो/ वीडियो/ रील के रूप में शेयर की जानी हैं।
7. **School ELC हैड, ईएलसी-ईसी, सम्पादित School ELC मासिक गतिविधि इत्यादि की सूचना राजकीय एवं निजी विद्यालयों के लिए विकसित शाला दर्पण पोर्टल - *School ELC* टैब पर उपलब्ध एंटी मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।** उच्चतर कार्यालयों द्वारा विद्यालय की ऑनलाइन सूचना को ही अद्यतन एवं प्रामाणिक माना जाएगा।
8. BLO/ Supervisor विद्यालय के ELC Head से समन्वय स्थापित कर **'कोई मतदाता ना छूटे'** के उद्देश्य से **प्रत्येक अर्हता दिनांक को 17+ / 18+ आयु वाले विद्यार्थियों का ऑनलाइन/ ऑफलाइन अग्रिम मतदाता पंजीकरण** अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। क्रमशः यथा आवश्यकता विद्यालय में ELC गतिविधियों के सम्पादन हेतु आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएँगे।
9. दोनों विभागों के फील्ड, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय समस्त अधिकारी बिंदु संख्या 1 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया एवं निर्धारित कर्तव्य - दायित्व सम्बन्धी पत्र के अनुरूप स्कूल ईएलसी गतिविधियों का सफल सम्पादन एवं तदनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराएँगे।
10. पुनः उल्लेखनीय है कि गत सत्र 2025-26 की भांति ही **राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी)** के अवसर पर **जिला / ब्लॉक स्तर पर** आयोजित किये जाने वाले सम्मान समारोह में राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों के लिए पृथक- पृथक रूप से चिह्नित **वर्ष पर्यन्त सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली Model/ Lead School ELC** के संस्था प्रधान एवं ELC Head को क्रमशः सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO-Cum-Collector)/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO-Cum-SDM) द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
11. **राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी - राजस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए स्कूल ELC की प्रगति को भी मानक रखा गया है।**

Electoral Literacy Clubs (ELC) Activities*, as prescribed (Class wise) by Election Commission of India

Month	Activity	Duration
Round the Year	ELC Wall Magazine	60 minutes class discussion on layout
April	Nirvachitra-Film Show	45 minutes
May	Card Game on Voting	45 minutes
November	Visit to Gram Panchayat	Half Day for Field Visit 45 minutes for post visit activity (same day or next day)
December	School Play	Preparation 30 minutes class discussion and practice (Performance in School Annual Day or National Voters' Day)
Total		3 hours approx (plus field visit)

9th ELC Guide (English Version) - See page no. 8

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	पत्रिका के प्रारूप पर कक्षा में 60 मिनट की चर्चा
अप्रैल	निर्वाचित्र-फिल्म शो	45 मिनट
मई	जागरूक मतदाता-कार्ड खेल	45 मिनट
नवम्बर	ग्राम पंचायत की यात्रा	क्षेत्र-भ्रमण के लिए आधा दिन। भ्रमण के बाद की गतिविधि के लिए 45 मिनट (उसी दिन या दूसरे दिन)
दिसम्बर	विद्यालय में नाटक	तैयारी 30 मिनट कक्षा में चर्चा व अभ्यास (विद्यालय के वार्षिकोत्सव में या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रस्तुतीकरण)
कुल		लगभग 3 घंटे 45 मिनट + क्षेत्र-भ्रमण

9th ELC Guide (Hindi Version)- See page no. 8

Month	Activity	Duration
Round the Year	ELC Wall Magazine	60 minutes class discussion on layout
April	Nirvachitra-Film Show (only in 1 st year of ELC)	45 minutes
May-June	Registration Activity	30 minutes for briefing Homework assignment
September	NOTA	30 minutes
October-November	Step Up	60 minutes
January(NVD)	Drawing & Poster Making Competition	60 minutes
Total		3 hours plus Home Assignment (Nirvachitra time not included)

10th ELC Guide (English Version)- See page no. 8

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	पत्रिका के प्रारूप पर कक्षा में 60 मिनट की चर्चा
अप्रैल	निर्वाचित्र-फिल्म प्रदर्शन (चुनावी साक्षरता क्लब के केवल पहले वर्ष में)	45 मिनट
मई-जून	पंजीकरण की गतिविधि	30 मिनट गतिविधि के बारे में
सितम्बर	नोटा (NOTA)	30 मिनट
अक्टूबर-नवम्बर	स्टेप अप	60 मिनट
जनवरी (एन.वी.डी.)	चित्र और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		4 घंटे + गृह कार्य (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

10th ELC Guide (Hindi version)- See page no. 8

Month	Activity	Duration
Round the Year	The Wall Magazine	
April	Nirvachitra(1 st Year)	45 minutes
April	Card Game on Nomination	45 minutes
April	Model Matdan	60 minutes
July-August	Film Screening	60-120 minutes
September-November	Chunav Yantr& Build your Ballot	60 minutes
January (National Voters' Day)	Debate Contest	60 minutes
Total		5 hours (Nirvachitra time not included)

11th ELC Guide (English Version)- See page no. 7

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	
अप्रैल	निर्वाचित्र (प्रथम वर्ष)	45 मिनट
अप्रैल	जनता के प्रतिनिधि बनें कार्ड का खेल	45 मिनट
अप्रैल	आदर्श मतदान	60 मिनट
जुलाई-अगस्त	फिल्म प्रदर्शन	60-120 मिनट
सितम्बर-नवम्बर	चुनाव यंत्र और मतपत्र का निर्माण	60 मिनट
जनवरी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)	वाद-विवाद प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		5 घंटे (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

11th ELC Guide (Hindi Version)- See page no. 7

Month	Activity	Duration
Round the Year	ELC Wall Magazine	
April	Nirvachitra-Film Show	45 minutes
July	Lok Sabha 2019 Film Screening	60 minutes
August-September	Know Your Candidate	30 min of briefing 60 minutes of presentation
October	Filling Form 6 and registering	30 minutes
November	Word Games	30 minutes
January	Essay writing Competition	60 minutes
Total		4 hours 30 minutes (Nirvachitra time not included)

12th ELC Guide (English version)- See page no. 8

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	
अप्रैल	निर्वाचित्र- फिल्म प्रदर्शन	45 मिनट
जुलाई	लोकसभा 2019 फिल्म प्रदर्शन	60 मिनट
अगस्त-सितम्बर	अपने उम्मीदवार को जानें	30 मिनट प्रारम्भिक चर्चा के लिए 60 मिनट प्रस्तुतीकरण के लिए
अक्टूबर	फॉर्म 6 भरना और पंजीकृत होना	30 मिनट
नवम्बर	शब्दों के खेल	30 मिनट
जनवरी	निबन्ध लेखन प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		4 घंटे 30 मिनट (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

12th ELC Guide (Hindi Version)- See page no. 8

*Please refer to ELC Resource Guide(s) for further details [Available on Election Commission of India (ECI) and Chief Electoral Officer (CEO) - Rajasthan Website as well ELC Repository on Shala Darpan and Private School Portal].

CEO - RJ SVEEP ELC UPDATED REPOSITORY LINK - https://election.rajasthan.gov.in/SVEEP_ELC.aspx

शिक्षा विभाग, राजस्थान

शिविरा पंचांग: 2026-2027

राजस्थान के प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2026-2027 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक/माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-प्रारम्भिक/माध्यमिक मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंसा पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

➤ सामान्य निर्देश :-

1. शिक्षण सत्र: 2026-2027 दिनांक 01 अप्रैल 2026 से आरम्भ है। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमित कक्षा शिक्षण 01 अप्रैल 2026 से ही प्रारम्भ है। 01 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण होगा।
2. प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026(कक्षा 9 से 12 तक) रहेगी।
3. व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 21 जून से 30 जून 2026 तक किया जाएगा।
4. अनामांकित, ड्रॉप आउट एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे।
5. मध्यावधि अवकाश 04 नवम्बर से 15 नवम्बर 2026 तक रहेगा।
6. शीतकालीन अवकाश 31 दिसम्बर, 2026 से 10 जनवरी, 2027 तक रहेगा।
7. ग्रीष्मावकाश 17 मई, 2026 से 20 जून, 2026 तक रहेगा।
8. वार्षिक परीक्षा/बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरान्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाए।
9. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।
10. यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश सम्बन्धित वर्ग के विद्यालयों/उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू होगा अन्य वर्ग के विद्यालयों पर उक्त अवकाश लागू नहीं रहेंगे।
11. शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए।
12. सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
13. बाल सभाओं में वृहद और सामुदायिक बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए तथा बाल विवाह के दुष्परिणाम व बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी जाए तथा सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाए। इसी प्रकार पीटीएम व एसडीएमसी की बैठकों में भी जन समुदाय के साथ उक्त वाबत् चर्चा की जाए।
14. बाल-सभाओं/पीटीएम/एसएमसी/एसडीएमसी की बैठकों में "तम्बाकू निषेध क्षेत्र", तम्बाकू मुक्त विद्यालय की गाईड लाईन तथा COTPA ACT 2003 की जानकारी दी जाए ताकि विद्यालय व उसके आसपास का क्षेत्र तम्बाकू मुक्त रह सके।
16. समस्त विद्यालयों में 01 सितम्बर 2026 से 15 सितम्बर 2026 तक "स्वच्छता पखवाडा" अनिवार्य रूप से मनाया जावे।

Validity unknown

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022



1. दो पारी विद्यालयों का कक्षा स्तर अनुसार संचालन निम्नांकित पारी क्रम में किया जाए :-

क्र०सं०	विद्यालय का प्रकार	पारी	पारी क्रम
1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

- दो पारी विद्यालय के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक रहेगा तदनुसार विद्यालय कार्यालय का समय भी उक्तानुसार ही रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वेच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।
- राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हो, अतः रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए।
- यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो से अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएगी।

➤ सहशैक्षिक गतिविधियां :-

- समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
- सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब एवं टूरिज्म क्लब व निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी क्लब गठन संबंधी निर्देशों के अनुरूप क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए। तम्बाकू नियंत्रण हेतु TOBACCO MONITOR विभागीय निर्देशानुसार बनाए जाए।
- सभी विद्यालय वार्षिक कार्यक्रम समग्र शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार मनाएं। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा-उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) एवं "सखा-संगम" जैसे कार्यक्रम ही आयोजित किए जा सकते हैं। समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर के दौरान गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति एवं दैनिक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने की सीख के विशेष संदर्भ में दैनिक जीवन में "स्वच्छता एवं साफ-सफाई की अनिवार्यता" विषयक उद्बोधन तथा सामूहिक श्रमदान द्वारा विद्यालय परिसर के सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियां अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाए।

Validity unknown

4
RajKaj Ref No.:
21349022

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

7. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक : प.14 (3) प्राशि/आयो/2014, जयपुर, दिनांक: 27.10.2014 की पालना की जाए।

➤ **पूरक परीक्षा :-**

आगामी सत्र 2026-27 में माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह में किया जावे। परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल 2027 से पूर्व आवश्यक रूप से घोषित कर प्रगति पत्र वितरित कर दिए जाएं।

➤ **“No Bag Day” –**

1. “No Bag Day” का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारम्परिक तरीकों से इत्तर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को आनन्ददायी बनाना है। “No Bag Day” माह के प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को मनाया जाना है। उक्त संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत आवंटित टास्क संख्या 147 की क्रियान्विति के क्रम में “No Bag Day” पर प्रत्येक पीईईओ/यूसीईईओ परिक्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र विशेष में दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को विद्यालय से जोड़कर विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु “No Bag Day” दिवस पर 1 घण्टे का सामूहिक सत्र आयोजित किया जाना है, इस हेतु निम्नांकित दिशा निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र विशेष में दक्ष एवं अनुभव रखने वाले स्थानीय स्तर पर विविध क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों की पहचान की जाए एवं सूची बनाकर पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा सत्र भर का कार्यक्रम निश्चित किया जावे।
 - (i) स्थानीय स्तर के लोक/शिल्प कलाकार जैसे बढई, लौहार, रंगरेज, कलाकार आदि कृषि कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को Master Instructor के रूप में आमंत्रित किया जावे।
 - (ii) व्यापारी अथवा क्षेत्र विशेष के प्रतिभा संपन्न सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आमंत्रित किया जावे।
 - (iii) बच्चों के नैतिक विकास के लिये क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर किसी समाज सेवक, विचारक अथवा उपदेशक के साथ-साथ किसी प्रेरणादायी व्यक्ति जैसे प्रशासनिक अधिकारी, डिफेन्स के अधिकारी अथवा बैंक, डाकघर, अरपताल आदि के अधिकारियों व कार्मिकों, ग्राम सेवक, पटवारी एवं सरपंच आदि को आमंत्रित किया जावे।
 - (iv) Master Instructor द्वारा उनके संबंधित विभाग/कार्यक्षेत्र की जानकारी से बच्चों को लाभान्वित किया जाए एवं उनके कार्यों के संबंध में प्रयुक्त औजार एवं प्रक्रिया की भी सामान्य जानकारी दी जा सकती है।
 - (v) स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले उक्त व्यक्तियों को स्व प्रेरणा के आधार पर विद्यालय से संबद्ध किया जाना है। इस हेतु इन्हे किसी मानदेय अथवा राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।
 - (vi) विद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्व वार्षिकोत्सव के दौरान के दौरान Master Instructor को इनकी सेवाओं के लिये सम्मानित किया जावे।
 - (vii) पीईईओ स्तर पर सत्र भर के लिये स्थानीय व्यक्तियों की सूची बनाकर कार्यक्रम निश्चित किया जावे।
3. “No Bag Day” के साथ बालिका शिक्षा के तहत किशोरी सशक्तीकरण की गतिविधियां (मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन) (कक्षा 6 से 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थी)
4. विद्यालय में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु एवं विद्यार्थियों में स्वच्छता का भाव लाने के उद्देश्य से कक्षा 7 एवं उसके उपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दूसरे नो-बैग डे के दिन लगाये गये पौधों की सार-संभाल करेंगे।

Validity unknown

Digitally signed by Sridhar Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

5. यह दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में गिना जाएगा लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा।
6. 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविरा पंचांग में दर्शाए गए/मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयन्तियां सम्मिलित हैं। शिविरा पंचांग में सम्मिलित अग्रांकित गतिविधियों/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के आयोजन "No Bag Day" हेतु निर्धारित समय सारिणी में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 02 अक्टूबर के उत्सव पूर्व की भांति उसी दिन को ही मनाए जाएंगे।
7. सम्पूर्ण सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दौरान पड़ने वाले उत्सवों/जयंतियों का विधिवत आयोजन प्रार्थना सभा व प्रथम कालांश में ही किया जावे। सप्ताह में अन्य कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना हो तो आगामी "बस्ता मुक्त दिवस" (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार) को समारोहपूर्वक किया जाए, जिसके लिए रूप रेखा का निर्माण एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित शिक्षकों एवं आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व की जाए।
8. **बस्ता मुक्त दिवस** मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक-शिक्षक बैठक(PTM), SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक, मीना-राजू/गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी **"बस्ता मुक्त दिवस" (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार)** के अवसर पर आयोजित किया जाए। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव/जयन्ती/बाल सभा आयोजित करने के उपरान्त समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा।
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर तथा विभिन्न अभिकरणों इत्यादि एवं विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरुचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जाएं।
10. **"बस्ता मुक्त दिवस" (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार)** के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों यथा-खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध-लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
11. प्रतिमाह एक बाल सभा में गांधीजी द्वारा प्रतिपादित "बुनियादी शिक्षा की अवधारणा" का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारम्परिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यावहारिक प्रदर्शन करवाया जावे, जैसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली कातना, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आस-पास से आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाए।
12. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।
13. समग्र शिक्षा अन्तर्गत संचालित निम्नांकित दूरगामी और नियमित गतिविधियों (शनिवारीय/गैर शनिवारीय) का संचालन निम्नानुसार किया जावे।

समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ

क्र.सं	क्रियाकलाप	आयोजन माह
01	विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित हो।	जून से जुलाई 2026
02	विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस	02 अप्रैल 2026
03	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस	10 अक्टूबर 2026
04	विश्व विशेष योग्यजन दिवस	03 दिसम्बर 2026

सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ

क.सं	क्रियाकलाप	आयोजन माह
01	एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी प्रशिक्षण में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहन।	04 जनवरी 2026
02	के.आर.पी प्रशिक्षण (SMC/SDMC)	अगस्त 2026
03	आर.पी प्रशिक्षण(SMC/SDMC)	अगस्त –सितम्बर 2026

बालिका शिक्षा

क.सं	गतिविधि/क्रियाकलाप का नाम	विवरण	आयोजन अवधि
01	किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियां मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन।	कक्षा 6 से 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थी	नो बैग डे के साथ
02	अन्तराष्ट्रीय बालिका दिवस	समस्त नामांकित बालिकाएँ	11 अक्टूबर 2026
03	राष्ट्रीय बालिका दिवस	समस्त नामांकित बालिकाएँ	24 जनवरी 2027

U-DISE

- सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाईस प्लस) पोर्टल (www.udise plus.gov.in) पर विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सूचना अपडेट किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य में संचालित सभी पोर्टल यथा-शाला दर्पण, पीएसपी पोर्टल एवं यूडाईस पोर्टल पर सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों का यूडाईस कोड समान व अद्वितीय होना सुनिश्चित करावें।

प्रबोधन एवं प्रबन्धन

सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली(यूडाईस प्लस) के अन्तर्गत निम्न कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे:-

- सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाईस प्लस) के अन्तर्गत पोर्टल (www.udise plus.gov.in) पर नवीन सत्र 2026-2027 की डाटा फिडिंग प्रारंभ होने के उपरान्त एक माह में या 31 जुलाई (जो भी पहले हो) तक सभी विद्यार्थियों को वर्ष 2025-2026 का परीक्षा परिणाम व उपस्थिति का इन्द्राज कर प्रोग्रेसन का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करना है।
- सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को टीसी के माध्यम से विद्यालय छोड़कर जाने वाले/लगातार अनुपस्थित होने के कारण विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को यूडाईस प्लस पोर्टल पर ड्रॉप-बॉक्स में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का ड्रॉप-बॉक्स में से इम्पोर्ट कर अपने विद्यालय में जोड़ना है।
- यूडाईस पर विद्यार्थी जिनका अपार बना हुआ है तथा विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध है, को अनामांकित मानते हुए विद्यालय में पुनः प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी है।

Validity unknown

12

RajKaj Ref No.:
21349022

1

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

14. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा वार निर्धारित स्कूल निर्वाचन क्लब ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार निम्नांकित गतिविधियों का संचालन किया जाना है:

क्र. सं.	माह	कक्षा	गतिविधि का नाम	सन्दर्भ / विशेष विवरण
01	अप्रैल 2026	09, 10, 11 व 12	ग्राम पंचायत की यात्रा	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
02	मई 2026	09, 10, 11 व 12	मरती, दोस्ती और मतदान-फिल्म प्रदर्शन	CEO-RJ की अधिकृत वेबसाइट पर स्वीप ELC-Repository में उपलब्ध Masti, Dosti Aur Matdaan Video Film का ICT Lab/ Smart Class/Smart Inter-Active Display के माध्यम से प्रदर्शन।
03	जून 2026		कोई गतिविधि नहीं	ग्रीष्मावकाश के कारण
04	जुलाई 2026	11 व 12	लोकसभा -2019 फिल्म प्रदर्शन	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		09	जागरूक मतदाता -कार्ड खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
05	15.08.2026 (स्वतंत्रता दिवस)	09, 10, 11 व 12	मतदाता शपथ	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ(हिन्दी / English)
	अगस्त 2026	09, 10, 11 व 12	निर्वाचित्र -फिल्म प्रदर्शन	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9, 10, 11 व 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		11	जनता के प्रतिनिधि बनें-कार्ड का खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		11	आदर्श मतदान	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
06	08.09.2026 (विश्व साक्षरता दिवस)	09, 10, 11 व 12	निबंध लेखन प्रतियोगिता - शीर्षक -देश में मतदाता साक्षरता और जागरूकता क्यों जरूरी है।	निर्वाचन/शिक्षा विभाग द्वारा सथा समय जारी निर्देश/पत्रानुसार
	सितम्बर 26	10	नोट	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		10	मतदाता पंजीकरण-	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार

			गतिविधि	10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		11	चुनाव यंत्र और मतपत्र का निर्माण	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		12	अपने उम्मीदवार को जानें	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
07	अक्टूबर 26	10	स्टेप अप	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		12	फॉर्म -6 भरना और पंजीकृत होना	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
08	नवम्बर 26	12	शब्दों का खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
	26.11.2026 (राष्ट्रीय संविधान दिवस)	9, 10, 11 व 12	विद्यार्थियों को प्रार्थना समय में उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान के बारे में जागरूक करना।	निर्वाचन / शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/पत्र अनुसार
09	10.12.2026 (अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस)	9, 10, 11 व 12	भाषण प्रतियोगिता (शीर्षक वोट का संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान का महत्व)	निर्वाचन / शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/पत्र अनुसार
10	25.01.2027 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)	9 व 10	विद्यालय में नाटक	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9 व 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		9 व 10	चित्र, पोस्टर और रंगोली बनाने की प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		11 व 12	वाद-विवाद प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 व 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		11 व 12	निबंध लेखन प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 व 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		9, 10, 11 व 12	मतदाता जागरूकता के	निर्वाचन / शिक्षा

			संबंध में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/पत्र अनुसार
	26.01.2027 (गणतंत्र दिवस)	9, 10, 11 व 12	मतदाता शपथ	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ(हिन्दी/English)
11	14.02.2027 (मातृ-पितृ पूजन दिवस)	9, 10, 11 व 12	पाती मां और पिता के नाम	निर्वाचन / शिक्षा विभाग द्वारा यथा संभव जारी निर्देश/पत्र अनुसार 14.02.2027 को रविवार होने के कारण दिनांक 13.02.2027 शनिवार को आयोज्य
12	मार्च 2027		कोई गतिविधि नहीं	बोर्ड/स्थानीय परीक्षा के कारण
13	सत्र/वर्ष पर्यन्त चलने वाली गतिविधि	9, 10, 11 व 12	स्कूल ELC लोकतंत्र की दीवार गतिविधि	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9, 10, 11 व 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
14	सत्र/वर्ष पर्यन्त चलने वाली गतिविधि	9, 10, 11 व 12	पुस्तकालय में Reading period के दौरान Election Corner में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता संबंधी संदर्भों का पठन एवं वाचन	निर्वाचन / शिक्षा विभाग द्वारा यथा संभव जारी निर्देश/पत्र अनुसार
15	वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार समारोह, पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति बैठक, अभिभावक-शिक्षक बैठक, बालसभा, नो बैग डे एवं अन्य सामुदायिक सहभागिता वाले अवसर	9, 10, 11 व 12	मतदाता जागरूकता संबंधी नाटक मंचन अथवा कविता पाठन/गीत .	निर्वाचन / शिक्षा विभाग द्वारा यथा संभव जारी निर्देश/पत्र अनुसार
		9, 10, 11 व 12	मतदाता शपथ(हिन्दी/अंग्रेजी)	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ (हिन्दी/English)

नोट—चिन्हित गतिविधियों के आयोजन की दिनांक एवं दिवस स्कूल शिक्षा विभाग /स्थानीय विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र में उक्त माह की निर्धारित अन्य शैक्षणिक, सह शैक्षणिक गतिविधियों, अवकाश, दिवाली/शीतकालीन अवकाश इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किये जावें, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारु रूप से संचालित हो। क्रमशः उक्त स्कूल ELC गतिविधियों के अधिकतम परिणाम की सुनिश्चितता हेतु यथासंभव विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) बैठक, अभिभावक-शिक्षक बैठक(PTM), बालसभा, नो बैग डे (No Bag Day) एवं अन्य सामुदायिक सहभागिता वाले अवसरों के साथ आयोजित किये जाने को प्राथमिकता दी जावे।